

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 236 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
निम्बाराम पुत्र कालूराम, उम्र 65 साल, जाति-जाट, निवासी कागो की ढाणी, तहसील - सिणधरी, जिला बाड़मेर		1.जालाराम पुत्र कुम्भाराम 2.वीरोदेवी पत्नी ठाकराराम 3. कानूदेवी पत्नी मानाराम 4.दलू पुत्री लाधाराम जातियान जाट 5. कोजाराम पुत्र राउराम, जाति- सुथार, निवासी-कागों की ढाण तहसील - सिणधरी, जिला- बाड़मेर 6.रामाराम पुत्र कुम्भाराम, जाति-जाट, निवासी-नारायणपुर (सड़ा), तहसील - सिणधरी, जिला- बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-


1. श्री जोगराज पोटलिया, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 27.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा कागो की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 362/1 रकबा 7.

8149 हैक्टयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेदा



सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा कागो की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 362/1 रकबा 7.8149 हैक्टर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।


2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा कागो की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 362/1 रकबा 7.8149 हैक्टर आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा कागो की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 362/1 रकबा 7.8149 हैक्टर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।


4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा कागो की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 362/1 रकबा 7.8149 हैक्टर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

रजिस्ट्रार

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कागो की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 362/1 रकबा 7.8149 हैक्टर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी